

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/19/1090

जयपुर, दिनांक: 31/5/19

आदेश

श्रीमती पिकी साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका, छबडा, जिला बारां को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(च) ( )जांच/डीएलबी/19/727-736 दिनांक 26.04.2019 द्वारा निलम्बित किया गया है। नगरपालिका छबडा में अध्यक्ष का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती ममता सोनी पत्नी श्री गोविन्द सोनी, सदस्या, वार्ड संख्या 18, नगरपालिका छबडा को, साठ से अनधिक की कालावधि या अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
जयपुर, दिनांक: 31/5/19

क्रमांक:प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/19/1091-1102

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
05. संभागीय आयुक्त, कोटा, राजस्थान।
06. जिला कलेक्टर, बारां, राजस्थान।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
08. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका, छबडा, जिला बारां।
09. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना राज्य एवं जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इसे राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित कराये जाने का श्रम करावे।
10. श्रीमती ममता सोनी पत्नी श्री गोविन्द सोनी, सदस्या, वार्ड संख्या 18, नगरपालिका छबडा, जिला बारां।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

965

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी